**नांदेड येथील ३०० खाटांच्या मुख्य इमारत आंतररुग्ण विभागाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.**

## महाराष्ट्र शासन
## सार्वजनिक आरोग्य विभाग
### शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२८३/ आरोग्य-४

मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत,
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई.

दिनांक : ८ मार्च, २०२२.

<u>वाचा</u> :- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.श्रेणीवर्धन-२०२०/प्र.क्र.२१०/आरोग्य-४, दि.१६.०९.२०२१.

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-६/नांदेड ३०० खाटाबांधकाम/१९७९९-८००/२१, दि.२४.११.२०२१.

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय , क्रमांक - प्रशामा - २०२१ / प्र. क्र. २८३ आरोग्य -४, दि.१० डिसेंबर,२०२१

<u>प्रस्तावना</u> :-

नांदेड येथील ३०० खाटांच्या मुख्य इमारत आंतररुग्ण विभागाच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपविभाग, अर्धापूर यांनी तयार केलेले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद व जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड यांनी साक्षांकित केले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या दरसूचिवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक व आराखडयास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.२९.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये मंजूरी दिली आहे. हुडको या वित्तीय संस्थेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील चालू व नवीन रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी कर्ज उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नवीन लेखाशिर्षामधून सदर काम करण्याचे विभागाचे धोरण आहे.

<u>शासन निर्णय</u> :-

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.२८३/आरोग्य-४, दिनांक १० डिसेंबर २०२१ या द्वारेअधिक्रमित करण्यात येत आहे.

२ नांदेड येथील ३०० खाटांच्या मुख्य इमारत आंतररुग्ण विभागाचे बांधकाम करणे करीता, सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे G+Still+३ (एकूण क्षेत्रफळ ३११६२.६२ चौरस मीटर) रु.१३८.२१ कोटी इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

३. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.

**<u>अटी व शर्ती</u>** :-

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
४) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्यक राहील.
५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी.
६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत.
७) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात.
८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी.

९) नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बांधकाम हाती घेण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल.

१०) सदर इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटीस अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

४. सदर कामावरील खर्च, " मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा.

५. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्र.बैठक-२०२१/प्र.क्र.२६/इमा-२, दि.०६.१२.२०२१ अन्वये दिलेली मान्यता आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ आणि दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३३८४९०९१७ हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Pradip M Balkavde

Digitally signed by Pradip M Balkavde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health Department, postalCode=400001, st=Maharashtra, 2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a28c94703436c07cda664672d20607766dc59d345b, serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde
Date: 2022.03.08 21:51:30 +05'30'

(प्र. मो. बलकवडे)
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई.
१. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१.
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई
३. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे.

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे.
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (लातूर मंडळ), लातूर.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड.
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड.
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई.
९. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर.
१०.वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई.
११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४ ).

— परिशिष्ट-अ —

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Department : Public Health Department | | | | | | |
| Name of Work : Construction of Shri Gurugovind Singhji Memorial District Civil Hospital Complex at Nanded, Dist- Nanded. | | | | | | |
| RECAPITULATION SHEET | | | | | | |
| Sr. No. | Particulars of Scope | | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./Meter/LumpSum | | Cost Rs. | |
| | | | | | Component Wise | Total |
| (A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | |
| 1 | (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | | |
| | Ground Floor, Stilt Parking + 3 Floor | 31162.62 | Sq. M | 26,000 | 81,02,28,120 | |
| | Total B.U.A. = | 31162.62 | | | Sub Total (a) | 81,02,28,120 |
| | (b) Fuel Gas Pipeline | | | | 10,00,000 | |
| | (c) Bio Digester | | | | 0 | |
| | (d) Rain/ Roof Water Harvesting | | | | 20,00,000 | |
| | (e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* | | | | 0 | |
| | (f) Ramp For Handicaps | | | | 2,00,000 | |
| | (g) Furniture 23189.24 x 75% = 17392 | | 17392 | 5000 | 8,69,60,000 | |
| | | | Sub Total (b+c+d+e+f+g) | | | 9,01,60,000 |
| 2 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (a) | | Sub Total (2) | 4,05,11,406 |
| 3 | Electrification | Internal | | 5% of (a) | 4,05,11,406 | |
| | | External | | 6% of (a) | 4,86,13,687 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | | 50,00,000 | |
| | | | | | Sub Total (3) | 9,41,25,093 |
| | | | | Sub Total (A) | | 1,03,50,24,619 |
| (B) | MISCELLANEOUS ITEMS | | | | | |
| | (i) Compound Wall & Gate (Rmt) | | 1000.00 | 8000 | 80,00,000 | |
| | (ii) Internal Roads (Rmt) | | 1000.00 | 5000 | 50,00,000 | |
| | (iii) Development of Ground, Horticulture | | | | 0 | |
| | (iv) Parking | | | 0 | 0 | |
| | (v) Retaining Wall | | | | 0 | |
| | (vi) Land Scaping | | | LS | 10,00,000 | |
| | (vii) Soil Investigations & Detail Land Survey | | | LS | 5,00,000 | |
| | (viii) CC Drains and C/D Works | | | LS | 25,00,000 | |
| | | | | | Sub Total (B) | 1,70,00,000 |
| | | | Sub Total (A) = | (1)+(2)+(3)+(B) | | 1,05,20,24,619 |
| (C) | OPTIONAL ITEMS | | | | | |
| 1 | Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M) | | | | 15,00,000 | |
| 2 | Water Main Storage, and pump house, bore well | | | | 10,00,000 | |
| 3 | Air Conditioning | | | | 2,00,00,000 | |
| 4 | Lifts | | | | 1,00,00,000 | |
| 5 | External Toilets | | | | 5,00,000 | |
| 6 | AB Room, Area lighting, Pumps, Generator | | | | 20,00,000 | |
| 7 | CCTV | | | | 5,00,000 | |
| 8 | Watchman Room, Flag Post etc. | | | | 10,00,000 | |
| | | | | Sub Total (C) | | 3,65,00,000 |
| | | | | Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) | | 1,08,85,24,619 |
| (D) | PROVISIONS | | | | | |
| | | | (i) Contingencies | 4% on (a) | 3,24,09,125 | |
| | | | (ii) GST | 12% on (P) | 13,06,22,954 | |
| | | | (iii) Price Escalation | 10% on (P) | 10,88,52,462 | |
| | | | (iv) Labour Insurance | 0.5% on (P) | 54,42,623 | |
| | | | (v) Consultancy Charges | 1.5% on (P) | 1,63,27,869 | |
| | | | | Sub Total (D) | | 29,36,55,033 |
| | | | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) | | (A+B+C+D) | 1,38,21,79,653 |
| | | | | Say Rs. Lakhs | 13821.80 | |

**PLINTH AREA RATES FOR**

(i) Bldg Proper Cost `= Rs 26,000 /Sqm

(ii) Elect. Work `= Rs 3,020 /Sqm

(iii) Water Supply `= Rs 1,300 /Sqm

(iv) For (i) + (ii) + (iii) `= Rs 30,320 /Sqm

(v) Total Project Cost = TPC ÷ Area (as per "a") `= Rs 44354 /- Sqm

* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation.